





श्री चित्रगुप्त मिडिल स्कूल, टीकली को मिडिल स्तर तक की स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-2000 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. विद्यालय के प्रबन्धांक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेगा और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेगा ।
2. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा- 159 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा ।
3. विद्यालय विभाग द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा- 4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा उनके जो भी भी नियम होंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।
5. विद्यालय हरियाणा शिक्षा संहिता के नार्म अनुसार छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित दर के आधार पर रैड ब्रास, बाल कल्याण तथा स्पोर्ट्स निर्मा एवं रजिस्ट्रेशन/ कोटा भरी पीस प्रत्येक वर्ग इस कार्यालय में जमा करायेगा ।
6. विद्यालय/ समिति हरियाणा संशोधित शिक्षा संहिता की धारा 17.5 के अनुसार आडिट करवा कर लेखा प्रशिक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रति वर्ग प्रस्तुत करेगा ।
7. पट्टानामा की समाप्ति से तीन वर्ग पूर्व भूमि/ भवन, स्कूल समिति के नाम करवाना होगा ।
8. विद्यालय में अध्यापकों के वेतन का भुगतान ब्रास बैंक द्वारा किया जायेगा ।
9. विद्यालय अपने संविधान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना चाहता है तो इस कार्यालय से अनुमोदन करवाना होगा तथा संविधान के अनुसार कार्यवाही करनी होगी ।
10. नियुक्तियों में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जायेगा ।
11. 55000/- सारा एक मास के अन्दर जमा करेगा तथा शेष एम. सारा बर गणना करके चार समान किस्तों में जमा करेगा ।

पू: क्रमांक -सम-

दिनांक:

जिला शिक्षा अधिकारी,

गुडगाँवा

15/9

15/9

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित है :-

1. निदेशक, लेकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. सचिव, डी. वि. शि. बोर्ड भिवानी
3. समस्त जि. शि. आर. डी. सूअ